राज्य शिक्षा केन्द्र

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

पुष्ठ क्रमांक

पेरह से एम्यान्यात्र

शाखा . विधि . . .

विषय डब्ल्यू:पी. 8707/2015 द्वारा श्री विमलेश कुमार

नस्ती क्र. विशिष्ट / 15/2016

विषयः न्यायालयीन प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी. ८७०७ / २०१५ द्वारा श्री विमलेश कुमार विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में ओ.आई.सी. की नियुक्त करने के संबंध में।

विषयांतर्गत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर से प्राप्त याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 8707/2015 द्वारा श्री विमलेश कुमार विरूद्ध म.प्र. शासन (संलग्न) का अवलोकन हो। याचिका जिला शिक्षा केन्द्र, जिला मुरैना से संबंधित है। प्रकरण जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी एवं सह समन्वयक, साक्षर भारत, मुरैना को ओ.आई.सी. बनाया जाना उचित है। अतः ओ.आई.सी. आदेश नस्ती में नीचे रखकर हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत।

10001 निरक साम्रह आरत की संबंधित हैं क 010 आपेश सम्माधारी

4-3-16

Aomin X.D.

संयुक्त संवेदाक राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

आयुर्ग

alant

ATEN SON I

Tarial Interval

क् भारतानाति है।

00/03

दीचित भीड़ चुकजी

पाण्य शिवा केन्द्र

आइ/शिक्श्यानिका स्वर्गानिकार विकार विकार विकार विकार के

Jang Strain

9.

1363/com/1916

शाकेमुभो—838—राशिके—22-5-15—500 पैड्स (100×1) प्रत्येक.

राज्य शिक्षा केन्द्र

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

पृष्ठ क्रमांक ०२-...

विषय.WP. 8.7.0.7/2015 कारा जी विमलेश कुमार

N/1 पर दिसे अनुमीदन अनुसाट 01८ आदेश जारी विभा शया। छतिरक्षण आदेश हेतु नस्ती विधितिमाश को अंकित करना चाहेंगे।

JDCP) on tour AMD (SD)

Falu- Fasis

1 (Dr. Bharti Shrivastava)

3. Dahihm 3. Dahihm 3. 03/16 (भीता वातिका) अपर निधान संमाजक धार्म क्रिका केंग्र

द्यीप्त गौड़ मुकर्जी आयुवत शहरा शिक्षा केन्द्र



कार्यालय, आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र

(स्कूल शिक्षा विभाग) बी-विंग, पुस्तक भवन, भोपाल, मप्र

कं./रा.शि.के./सतर्कता-विधि/न्याया/2016/1896

भोपाल दिनांक-9 मार्च 2016

सिविल प्रकिया संहिता 1908 का अधिनियम संख्या कं० 5 के आदेश सत्ताईस के नियम । तथा २ के अधीन तथा म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कं०एफ-१६/५१७७/वि०प्र०/२०, दिनांक २८.१.९९ द्वारा आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र,मध्यप्रदेश को प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी एवं सह समन्वयक, साक्षर भारत, मुरैना को न्यायालयीन प्रकरण कमांक 8707/2015 द्वारा श्री विमलेश कुमार विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी बनाया जाकर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हरताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करते है। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि ०मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये निम्नलिखित कार्य करेगाः-

 प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपार्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट रूप से की जाएगी।

2. समस्त सुसंगत फाइलें दस्तावेज नियम अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा। 3. वाद-पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना

हो एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिववता से संपर्क करेगा। 5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।

प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-

वाद-पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।

प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।

उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।

मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां। इसमें बाद की (**u**)

सुनवाई की तारीख वर्णित होनी चाहिए।

7. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रकम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।

8. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध धारित किया गया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली

कार्रवाई किए जाने के लिए इस विभाग को भेजना।

10. यह देखना कि आवेदन करने में क्या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करनें, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।

11. जैसे ही उसे अपना स्थानान्तर आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।

12. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई न

13. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होरा है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार ही करेगा। निर्णय की एक प्रति

अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

14. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्रवाई की गई है। अत्तएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जाए विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

(दीप्ति गौह सुकर्जी) आयुक्त हि राज्य शिक्षा केन्द्र

मध्यप्रदेश भोपाल,दिनांक-. े. मार्च २०१६

पृष्ठां.कं./रा.शि.के./सतर्कता-विधि/न्याया./२०१६/ १९५७ प्रतिलिपि:-

1 अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, रकूल शिक्षा विभाग।

2 प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, .विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।

3 अति. महाअधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर को न्यायालयीन प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी. 8707/2015 द्वारा श्री विमलेश कुमार विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य के संबंध में सूचनार्थ।

4 जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी एवं सह समन्वयक, साक्षर भारत, मुरैना की ओर पालनार्थ। कृपया

नियत समय में जवाबदावा प्रस्तुत कर इस कार्यालय को अवगत करायें।

5 जिला परियोजना समन्वयक एवं नोडल अधिकारी, जिला शिक्षा केन्द्र, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

मध्यप्रदेश

9/0

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: Bench at GWALIOR

Process Id: 4252/2016

WP/8707/2015

From

Deputy Registrar, High Court of MP Bench at Gwalior FOR ADMISSION
Fixed for 25-02-2016
DA-08

Respondent No. 2 RAD

2D(1)

To,

Commissioner Rajya Shiksha Mission, Pupstak Bhawan B-wing Arera Hills Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH) ,

Gwalior 08-02-2016

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 8707/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Vimlesh has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/8707/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **25-02-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court) Encl: Copy of Petition

CHICOURT OF MADHYA POR

AFFIXED AT GWALIOR

Your faithfully

Section Officer
Section Officer
High Court Of Madhya Prade...
Bench Gwalior